जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 27-10-2022

आज दिनांक 27.10.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सोनम कमार** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

नाबालिग से छेड़खानी व मारपीट के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सोनम** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री रामप्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 534 / 2022 धारा 452 / 323 / 504 /354(क) भादवि के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता मनीष उर्फ विकास पुत्र गिरीशचन्द निवासी बक्टूपुर थाना लालगंज जनपद बस्ती को सलाहाबाद से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिग बहन को अकेला पाकर घर में घुसकर अश्लील हरकत की घटना कारित की गयी थी, पीड़िता द्वारा शोर मचाने पर गाली देते हुए मारपीट किया गया था जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना धनघटा पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 27.10.2022 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम- उ0नि0 श्री अशोक कुमार दुबे, का0 दीपक खरवार।

एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में **थाना धनघटा** पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान दिनाकं 27.10.2022 को अभियुक नाम पता आरिफ पुत्र ओबैदुर्रहमान निवासी नावनकला थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना धनघटा पर आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

आरिफ पुत्र ओवैदुर्रहमान निवासी नावनकला थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 612 / 2022, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी

01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- प्रभारी चौकी बिड़हरघाट उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र यादव, का0 शैलेश यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

<u>पीआरवी 1492 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को पहुंचाया गया अस्पताल</u>– पीआरवी 1492 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत निहैला से इवेन्ट संख्या 11838 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में 02 व्यक्ति (नाम पता मारकण्डेय पुत्र शिव प्रकाश पाण्डेय, शिव प्रकाश पाण्डेय पुत्र रामअचल निवासी ककरहा थाना धनघटा) के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा समय से घटना स्थल समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस 108 वाहन से सीएचसी मलौली भेजवाया गया तथा घटना के संबन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – उ0नि0 श्री रविन्द्र यादव, आरक्षी अनिरुद्ध प्रसाद, हो0चा0 राजेश कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 45 वाहनो से 37,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 27.10.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 45 वाहनों से 37,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।